

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ Directorate of Medical Education and Training Uttar Pradesh, Lucknow.

> राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग—2021

National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UG
Counseling -2021 विवरण पुस्तिका (Brochure)
उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के
एम.बी.बी.एस.तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम
(M.B.B.S. & B.D.S. Courses)
Government/Private Medical & Dental Institutions

Disclaimer: The Government of Uttar Pradesh & National Informatics Center (NIC) will be conducting the online registration procedure as per the information filled by the candidates. The Government of Uttar Pradesh & NIC will not be responsible for any technical fault.

Candidates are required to assess their eligibility themselves before applying. The eligibility will be checked from original documents at the time of document verification and admission in State Medical Colleges/Institutions/Universities as detailed in brochure/website https:// upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in

Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.

For any communication related to UP NEET UG 2021 please email on given mail id below.

neetcounselingup@gmail.com

Balet of

INDEX

| S. No. | Subject | Page No. |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Important Dates | 3 |
| 2 | Important Information | 5 |
| 3 | Eligibility | 5 |
| 4 | Registration & Document Verification | 10 |
| 5 | Security Fee | 12 |
| 6 | Counseling Process | 14 |
| 7 | Admission Process & Nodal Centers | 16 |
| 8 | Resignation | 18 |
| 9 | Reservation | 18 |
| 10 | Service Bond | 21 |
| 11 | List of Medical & Dental Colleges | 21 |

Help line Number 07897451786, website for information: https://upneet.gov.in, www.dgme.up.gov.in, website for Online counseling: https://upneet.gov.in

अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances)

शासनादेश संख्या—I/133007/2022 दिनांक 17 जनवरी 2022 जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021—22 हेतु राजकीय एवं निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०) में प्रवेश के लिए नीति—निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के बिन्दु—17 "अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित विशेष अधिकारी का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:—

डा० अरविन्द कुमार पाल

विशेष अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ मोबाईल नम्बर—9454019386 कार्यालय दूरभाष नम्बर—0522-4238560, ई–मेल आई०डी० neetcounselingup@gmail.com

(कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05 बजे तक) नोट— वाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।

| यू0पी0 नीट यू0जी0 2021 की कांउसिलिंग की महत्वपूर्ण तिथियाँ प्रथम चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग की समय—सारिणी | | |
|--|---|--|
| ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि | 20 जनवरी, 2022 (पूर्वराह्न 11:00 बजे) से दिनांक 24 जनवरी, 2022 तक | |
| वंजीकृत अभ्यर्थियों के शैक्षणिक / जाति / अन्य प्रमाण–पत्रो का सत्यापन तथा धरोहर वनराशि जमा करने की तिथि | दिनांक 21 जनवरी, 2022 से 25 जनवरी, 2022 तक | |
| गंजीकृत अभ्यर्थियो मेरिट सूची घोषित किये जाने की तिथि | दिनांक 25 जनवरी, 2022 | |
| गउंसिलिंग हेतु विकल्प (Choice) भरे जाने की तिथि | दिनांक २७ जनवरी, २०२२ (अपरान्ह २:०० बजे) से दिनांक ३१ जनवरी, २०२२ तक | |
| नीट आवंटन के परिणाम की घोषणा | दिनांक 01/02 फरवरी, 2022 | |
| गवंटन पत्र डाउनलोड किये जाने की तिथि तथा प्रवेश लेने की तिथि | दिनांक 02 फरवरी 2022 से दिनांक 05 फरवरी, 2022 | |
| | | |
| द्वितीय चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग की समय-सार्व | रिणी (पृथक से जारी की जायेगी) | |
| ॉन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि | | |
| जीकृत अभ्यर्थियो की सूची जारी करने की तिथि | | |
| ये पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा ऑफ—लाइन धरोहर धनराशि Security Money) जमा करने की तिथि | | |
| ॉन लाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि | | |
| ॉन लाईन कांउसिलिंग के परिणाम की घोषणा | | |

| (Security Money) जमा करने की तिथि | |
|---|--|
| ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि | |
| ऑन लाईन कांउसिलिंग के परिणाम की घोषणा | |
| आवंटित अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि | |

| ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि | | |
|---|---|--|
| जान लाइन युजायरूप प्रास्मि हान का विधि | | |
| मेरिट सूची जारी करने की तिथि | | |
| | | |
| राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु कांउसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On | | |
| Spot) | | |
| | | |
| निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु कांउसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot) | | |
| | | |
| निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot) | | |
| नेजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करायी गयी 1:10 की सूची के अभ्यर्थियों | | |
| की प्रवेश की अन्तिम तिथि | | |
| | | |
| नेजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की रिक्त सीटों के सापेक्ष 1:10 के अनुपात में पंजीकृत | | |
| अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि | | |
| तत्र प्रारम्भ होने की तिथि | | |
| त्र श्रारम्म हाम का तिथ | 1 | |

Important Dates and other Information of U.P. NEET UG-2021 Counseling.

| Time Table for First Round Counseling | | |
|--|---|--|
| Date of Online Registration | 20 th January, 2022 (From 11:00 AM) to 24 th January 2022 | |
| Document of documents Verification of academic certificate/ Caste/other documents and submission of securitymoney | 21 st January, 2022 to 25 th January, 2022 | |
| Date of declaration of Merit list of registered Candidates | 25 th January, 2022 | |
| Date of Online Choice filling | 27 th January, 2022 (From 2:00 PM) to 31 th January, 2022 | |
| Declaration of result of Seat Allottment | 01 st /02 nd February, 2022 | |
| Date for Downloading Allottment Letter & Admission | 02 nd February, 2022 to 05 th February, 2022 | |

| Time Table for Second Round Counseling (Dates will be announced separately) | | |
|---|---|--|
| Date of Online Registration | • | |
| List of Registered Candidates | | |
| Document Verification & Submission of Security Fee | | |
| Date of Online Choice filling | | |
| Declaration of Seat Allottment Result | | |
| Date for Downloading Allottment Letter | | |

| Time Table for MOP-UP Round (Dates will be announced separately) | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Date of Online Registration | | | | |
| List of Registered Candidates | , | | | |
| Date of Onspot Admission in Govt. Medical/Dental College | | | | |
| Date of Onspot Admission in Pvt. Medical College | | | | |
| Date of Onspot Admission in Pvt. Dental College | | | | |
| 1:10 List forwarded to Pvt. Medical College's | | | | |
| 1:10 List forwarded to Pvt. Dental College's | | | | |
| Commencement of session | • | | | |

Any change in date of online counseling will be announced by the Director General Medical Education &

Important Information:

- 1. Only online registration will be done as per the schedule.
- 2. Registration Fee (Non Refundable): only online payment will be accepted.
 - As a non-refundable registration fee of Rs. 2,000/- + Bank Transaction Charges common for both Govt. & Private Medical/Dental Colleges/Institute/State University (1st & 2nd Round)
- 3. Security Fee: only offline payment will be accepted.
 - Security Fee (at the time of document verification) Bank DD of Rs. 30,000/- [Thirty Thousand] for Govt. Medical/Dental Colleges/Institutes/State Universites.
 - Security fee (at the time of document verification) Bank DD of Rs. 2,00,000/- [Two Lakhs] for Pvt. Medical Colleges/Institutes/State Universites.
 - > Security fee (at the time of document verification) Bank DD of Rs.1,00,000/- [One Lakh] for Pvt. Dental Colleges/Institutes/State Universites.
- 4. Registration will not be completed till online payment has been made.
- 5. Online registration/security fee submission/document verification does not ensure seat allocation.
- 6. Only CTS Bank DD in the favour of Director General Medical Education & Training, Uttar Pradesh, Lucknow, Uttar Pradesh, Payable at Lucknow.
- 6. If security fee not submitted by candidate then candidate will not be permitted for document verification and choice

I- अर्हतायें (Eligibility)

प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल/विश्वविद्यालय/संस्थानों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु

- ऐसे छात्र जिन्होने NEET यू०जी० 2021 की परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in पर पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराया हो, ही कांउसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के कम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / संस्थानों / डेण्टल कालेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनो परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नही होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाए उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या:—157 / तीन—2003—77(11)83, दिनांक 18.02.2003 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों को डोमेसाइल / सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र डाक्यूमेन्ट सत्यापन एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुराना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। संलग्नक-1
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजो / विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नही होगा।

II-शक्षिक अर्हतायें (Academic Qualification as per NEET UG 2021 Brochure)

अर्हताएं(NEET UG- 2021 (NTA) के ब्रोशर के अनुसार)

CHAPTER 4 - ELIGIBILITY AND QUALIFICATIONS FOR MBBS AND BDS COURSE

Qalat

of the year of his/her admission to the first year Undergraduate Medical Course.

Accordingly, the lower age limit shall as under:

For Candidates of General (UR)/General-EWS

born on or before
31.12.2004

4.1.2. The upper age limit for **NEET (UG)** is 25 years as on the date of examination with a relaxation of 5 years for the candidates belonging to the SC/ST/OBC-NCL category and PwBD Candidates.

NOTE: The upper age limit of 25 years as prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 vide amendment dated 22.01.2018, was challenged before the Hon'ble High Court of Delhi and the said upper age limit had been upheld vide judgement dated 11.05.2018 in W.P. No.1813/2018 & other connected matters. The said judgement dated 11.05.2018 was challenged before the Hon'ble Supreme Court of India in SLP (C) No. 14320/2018 & other connected matters when vide interim order dated 29.11.2018, candidates who are 25 years and above were provisionally permitted to appear in NEET-UG-2019 subject to the final outcome of the said matters. The Supreme Court thereafter, vide order dated 29.04.2019 had permitted the candidates to appear provisionally in the Counselling subject to the adjudication of the matters. The aforesaid matters are pending adjudication before the Hon'ble Supreme Court of India and the authorities shall abide by any order that may be passed for NEET-UG-2021.

Thus, the candidates above 25 years are provisionally permitted to appear and their candidature is subjected to the outcome of pending Petitions before the Hon'ble Supreme Court.

- 4.1.3. Indian Citizens/ Overseas Citizens of India (OCI) intending to pursue UndergraduateMedical Courses in a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify **NEET (UG)**.
- 4.2 Criteria for NRI / OCI / Foreign Nationals
- 4.2.1. Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical /Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions and Government of India, as the case may be. The NRI and OCI Applicants / Candidates have to upload a Certificate from the concerned Indian Diplomatic Mission in the country of their residence in support of their claim as an NRI / OCI Candidate, along with their online application form for NEET (UG) 2021 and retain the original of such document for producing it at the time of Counselling / Admission to the Courses covered under NEET(UG). Similarly, a foreign applicant for NEET (UG) 2021 shall also upload DocumentaryProof (e.g. relevant pages of a valid passport or a Certificate from Competent Authority in the country of his/her nationality regarding his/her citizenship status) insupport of his / her Nationality, along with online application form. The Embassy Certificate and Citizenship Certificate or any Documentary proof of Citizenship are given in Annexure- XIV A and XIV B.
- 4.2.2. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental/ College/State.

Eligibility of OCI cardholders for NEET (UG):

The Ministry of Home Affairs vide Notification dated 4th March 2021 specified the rights to which an OCI cardholder shall be entitled under the Citizenship Act, 1955.

Clause (4) (ii) of the said Notification reads as under:

(Baya)

A

Provided that the OCI cardholder shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indiancitizens."

The above Notification provides the following Explanation:

"The OCI Cardholder (including a PIO card holder) is a foreign national holdingpassport of a foreign country and is not a citizen of India."

Similarly, the PIO cardholder and foreign nationals shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens.

4.3 Participation of UT of J&K Ladakh in All India Quota

- i. Students from UT of J&K and Ladakh were not eligible for 15% All India Quotaseats as erstwhile J&K opted out of the All India Scheme since its inception. So far as the UT of J&K is concerned, the matter for inclusion of the UT in the All India Quota is under deliberation and any decision in this regard shall be placed on the website of NTA in due course. Hence, the candidates from J&Kqualifying NEET (UG) 2021 shall not be entitled to participate in the counselling conducted by MCC/DGHS for admission to the MBBS / BDS seats under the All India 15% quota. However, depending upon their marks/ score, they would be able to participate in the counselling conducted by the J&K Board of Professional Entrance Examinations (JKBPEE) for admission to MBBS/BDS Courses in the Medical Colleges in J&K. For details, the website of JKBPEE (www.jkbopee.gov.in) and Directorate of Medical Education, J&K Administration, may be visited by the candidates from J&K from time to timefor latest updates. The Candidates from the UT of J&K, if they claim eligibility, must submit an online Self Declaration which will be generated and printed automatically along with Confirmation Page for the record and they need to present the same during counselling. The Self-Declaration Form is given in Appendix-III. If the declaration is found to be false at any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and criminal proceedings may be initiated against such candidates. Candidates from the UT of J&K can appear in NEET (UG) 2021 for admission to Private Medical/Dental/ Colleges or any Private/Deemed University and AFMC, AIIMS, JIPMER subject to the fulfillment of respective eligibility conditions.
- ii. However, from the academic year 2021-22, the students of UT of Ladakh shallbe eligible for admission to 15% of All India Quota seats.
- 4.4 Qualifications and Qualifying Examination Codes

 To be eligible for NEET (UG) 2021, candidates need to refer to the following table for qualifying examination criteria.

CODE: 01

A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12 Standard in 2021, whose result is awaited, may apply and appear in the test but he/she shall not be eligible for admission to the **Undergraduate Medical Courses** if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage at the time of first round of Counselling.

Candidates who have appeared or are appearing at the qualifying Examination with English, Physics, Chemistry and Biology as the main subject and expect to pass the Examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the Competitive Entrance Examination. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying Examination with the required subjects and percentage of marks.

prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. Candidates who have passed 10+2 from Open School or as private candidates shall not be eligible to appear for the 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore, a study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not be permissible.* *The candidates who have passed 10+2 level with Biology as an additional subject will also be eligible for MBBS Entrance Examination (as per Hon'ble High Court Order No. 2341/-W/DHC/WRIT/D-1/2019 dated 24/09/2019 in the Writ Petition (C) No. 6773/2019. If the institute has to consider an examination of an Indian University or of a foreign/university to be equivalent to the 12 Class under 10+2 scheme/intermediate science examination, the candidates shall have to produce a certificate from the concerned Indian University/Association of Indian Universities to the effect that the examination passed by him/her is considered to be equivalent to the 12 class under 10+2 scheme/intermediate science examination. *(NOTE: The proviso in italics has been a subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognised Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an Additional Subject has been struck down. The Medical Council of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Courtand Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidature of candidates in the NEET (UG)-2021 who have passed the qualifying examinations i.e. 10+2 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as private candidates from recognised State Boards; or with Biology/Biotechnology as an additional subject shall be allowed but subject to the outcome of Special Leave Petitions/Appeals filed by the Medical Council of India) OR CODE: 03 The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology /Biotechnology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject. OR CODE: 04 The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Preprofessional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject. OR CODE: 05 The first year of the three years' degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course. OR CODE: 06 B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Biotechnology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English. Qualat 0

- Provided also that to be eligible for **NEET** (**UG**) **2021**, the candidate must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in the Regulations of NMC and DCI. *In addition, they* must have got a rank in the merit list of **NEET** (**UG**) **2021** for admission to **Undergraduate Medical Courses**.
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (NCL), the
 minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology taken together in qualifying examination
 shall be 40% marksinstead of 50% marks for Unreserved and General-EWS Candidates. In respect of PwBD candidates
 as per NMC and DCI Regulations, the minimum marks in the qualifyingexamination in Physics, Chemistry and Biology
 (or Botany & Zoology)/Biotechnology takentogether shall be 40% instead of 50%.
- Provided further that the students who have received education abroad and wish to seekadmission into medical colleges in India must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English with 50% marks in class 12 and their equivalency determined by the Association of Indian Universities (AIU) as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University.
- The criteria for minimum qualifying marks to be eligible for admission to MBBS courses shall also be applicable to concerned INIs like AIIMS and JIPMER.

Note: In all other cases, the States/Institutes that have cut-offs for eligibility other thanthose mentioned above, may follow their own criteria.

Note:-

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to Undergraduate Medical Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them are, in scope and standard, as explained in CODE: 07.
- Any interpretation regarding the requirement of Biology / Biological Sciences as one of the subjects of the Qualifying Examination for NEET (UG) will be subjected to Regulation No. 4 (1) of the Graduate Medical Education Regulations (1997) as amended upto 2018 and the Judgement dated 16th February 2021 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 390 of 2021 in the matterof "Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences Vs. Srikeerti Reddi Pingle & Ors." (Para 20 &21).

salar a d

III- पंजीकरण (REGISTRATION) :-

Online registration and registration fee

Candidates can apply online by visiting the website https://upneet.govt.in

- For registration, candidate will use his/her <u>NEET UG-2021 Application No.</u> and <u>Roll</u>
 No. follow instructions on screen.
- Thereafter the candidate's NEET UG-2021 registration details will be displayed & Candidate will get registration number.
- 3. The candidate will make an online payment of Rs. 2,000/- (Rs. Two thousand only) after which SMS will be sent to his/her registered mobile no.
- 4. After successful payment candidate will generate registration slip & paste photograph.(Photo uploaded on NEET-2021 application form)
- 5. Registration fee is non refundable.
- 6. Payment Mode- Debit card, Credit Card, Net Banking.

ऑनलाइन पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क—

- У पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट htt[s://upneet.govt.in पर लॉगिन करेंगे।
- अभ्यर्थी नीट यू०जी० 2021 के रोल नं० एवं एप्लीकेशन नं० प्रयोग करे एवं स्क्रीन पर दिये गये दिशा—निर्देशों का पालन करें।
- नीट यू०जी० २०२१ की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू० २,०००/— प्रति अभ्यर्थी (दोनो चक्रो की कांउसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू० १०००/— प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउसिंलिंग हेतु पंजीकरण नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउसिंलिंग हेतु रू० 2,000/— जमा कराकर प्रतिभाग कर सकते हैं।
- पंजीकरण के लिए https://upneet.gov.in पर NEET Counseling-2021 के लिंक को क्लिक करें एवं वहाँ दिये गये निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।
- पंजीकरण / काउंसिलिंग शुल्क, नॉन रिफण्डेबल (Non Refundable) है।

IV-अभिलेखों का सत्यापन (Document Verification)-

अभ्यर्थी के द्वारा पंजीकरण करते समय अभिलेखों के सत्यापन के सम्बन्ध में विकल्प भरा जायेगा। विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी निम्निलिखत मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित नोडल सेन्टर पर अपने मूल प्रमाण—पत्र प्रमाणित करायेगा। (At the time of registration candidate can choose document verification center as per his/her convenience, after this candidate should present with their following original document at the document verification nodal center. Presence of candidate is mandatory)

- 1. नीट 2021परीक्षा प्रवेश पत्र (एन०टी०ए०) द्वारा जारी (NEET UG-2021 Exam entrance letter)
- 2. नीट 2021 परिणाम / रैंक पत्र (एन0टी०ए०) द्वारा जारी (NEET UG-2021 result)

N. G. Balas

- 3. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र (10th & 12th standard marksheet & certificate)
- 4. पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस / पास पोर्ट) (For ID Aadhar Card/Pan Card/Driving Licence/Passport)
- 5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल / सामान्य निवास प्रमाण—पत्र (Domicile certificate if applicable recently issued by designated athority)
- 6. आरक्षण के दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र—अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / ई०डब्ल्यू०एस० / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों / भूतपूर्व सैनिकों / एन०सी०सी० सर्टिफिकेट / दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण—पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा) आरक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए यू०पी० नीट यू०जी०—2021—22 हेतु जारी शासनादेश का अवलोकन करने का कष्ट करें।
- 7. ऑनलाईन पंजीकरण का प्रिंटआउट(Online registration slip)
- 8- धरोहर धनराशि (security money) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। (Only CTS Bank DD in the favour of Director General Medical Education & Training, Uttar Pradesh, Lucknow, Uttar Pradesh, Payable at Lucknow.)
 - रू० 30,000 / —(तीस हजार मात्र) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कॉलेज की सीटो के लिए।
 - रू० २,००,००० / –(दो लाख मात्र) निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीटो के लिए।
 - रू० 1,00,000 / -(एक लाख मात्र) निजी क्षेत्र के डेन्टल कॉलेजों की सीटो के लिए।
 - धरोहर धनराशि (security money) अभिलेखों के सत्यापन (च्वाईस फिलिंग से पूर्व)
 के समय ही जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में काउंसिलिंग प्रक्रिया (Choice filling) मे प्रतिभाग नही कर पायेंगे।
 - डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० देय लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो।

अभिलेखों के सत्यापन की तिथि एवं नोडल सेन्टर की सूची-

प्रथम चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 21 जनवरी, 2022 से 25 जनवरी, 2022 के मध्य तथा द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग फरवरी 2022 के प्रथम / द्वितीय सप्ताह में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित निम्नलिखित नोडल केन्द्रो पर स्वयं मूल अभिलेखों एवं धरोहर धनराशि (Security money) सहित उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Name of Medical College /Institute/University

| 1 | किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ | King George Medical University, Lucknow |
|---|---|--|
| 2 | डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ | Dr, Ram Manohar Lohila Institute of Medical Sciences, Lucknow |

204' d

| 3 | ार्ड र गर्ड गर्ड गर्ड मार्ड के लिज, कानपुर | G.S.V.M. Medical College, Kanpur |
|----|---|--|
| 4 | एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा | S.N. Medical College, Agra |
| 5 | एल0एल0आर0 मेडिकल कालेज, मेरठ | L.L.R.M. Medical College, Meerut |
| 6 | एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झॉसी | M.L.B. Medical College, Jhansi |
| 7 | बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर | B.R.D. Medical College, Gorakhapur |
| 8 | एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज | M.L.N. Medical College, Prayagraj |
| 9 | उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा | U.P.U.M.S. University, Saifai, Etawah |
| 10 | राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ | Government Medical College |
| 11 | T-2-10 | Azamgarh |
| 11 | राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर | Government Medical College, Ambedkarnagar |
| 12 | राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज | Government Medical College, Kannauj |
| 13 | राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन | Government Medical College, Jalaun |
| 14 | राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर | Government Medical College, Saharanpur |
| 15 | राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा | Government Medical College, Banda |
| 16 | राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ | Government Medical College, Badaun |
| 17 | स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या | Autonomous Government Medical College, Ayodhya |
| 18 | स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर | Autonomous Government Medical College, Shahajanpur |
| 19 | राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा | Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida |

यदि किन्ही कारणोंवश अभिलेखों के सत्यापन हेतु तिथि में परिवर्तन होता है तो उक्त की सूचना तथा अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर किस तिथि को उपस्थित होना है, इसकी सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाईट https://upneet.gov.in तथा विभाग की वेबसाईट www.dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वह समय—समय पर उपर्युक्त उल्लिखित वेबसाईटों का अवलोकन करते रहे।

V-धरोहर धनराशि (Security Money)

> स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीट हेतु रू० 30,000/— (रू० तीस हजार मात्र) तथा निजी



क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजो की सीट हेतु रू० 2,00,000 / — (रू० दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेन्टल कॉलेजो हेतु रू० 1,00,000 / — (रू० एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० देय लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो, को अभिलेखों के सत्यापन के समय नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।

यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनो ही प्रकार की सीटों हेतु कांउसिलिंग कराना

चाहता है तो उसे मात्र रू० 2,00,000 / – का ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा तो उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

े ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं होती है, द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात् वह अपनी धरोहर धनराशि (Security Money) का बैंक ड्राफ्ट

सम्बन्धित सत्यापन केन्द्र से वापस प्राप्त करेंगे।

- पिंद कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल / डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की कांउसिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय किसी अन्य कांउसिलिंग से आंवटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 15.02.2022 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 12.02.2022 को सायं 04:00 बजे तक) पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कॉलेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कॉलेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षा शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होनें निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों में प्रथम चक्र की काउसिंलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा उन्होनें ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउसिंलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं होती है तथा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउसिंलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 15.02.2022 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 12.02. 2022 को सायं 04:00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि एवं शिक्षण शुल्क से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस देय होगी।
- प्रदेश की द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग सामाप्त होने के पश्चात् प्रथम व द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमित नहीं होगी। फिर भी यदि मॉप—अप राउन्ड से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 07.03.2022 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 04.03.2022 को सायं 04:00 बजे तक) अपनी सीट से त्याग—पत्र दे सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि

De Godina A

तथा द्वारा तत्समय् जमा की गयी शिक्षण शुल्क दोनों से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये शेष धनराशि वापस देय होगी।

मॉप—अप राउन्ड के पश्चात् या पाठ्यकम पूर्ण करने से पूर्व करने यदि अभ्यर्थी मेडिकल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालय / डेण्टल कालेजों में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देता है तो उक्त पाठ्यकम की समस्त शैक्षणिक शुल्क (Tuition fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज / विश्वविद्यायल / डेण्टल कालेज को देय होगी और सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है तो वह भी उसे जमा करना होगा।

धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किये जाने के सम्बन्ध में—

- नीट यू0पी0 यू0जी0 2021 के द्वितीय चक की काउंसिलिंग के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है वह अपनी धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उसी नोडल सेन्टर से प्राप्त करेंगे जहाँ पर उनके द्वारा जमा किया गया है।
- े ऐसे अभ्यर्थी जिनको राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की सीट आवंटित हो गयी है उनकी धरोहर धनराशि प्रवेश प्रकिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल / डेण्टल कालेज के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दी जायेगी।

VI-कांउसिलिंग प्रकिया:-

काउंसिलिंग प्रकिया प्रथम व द्वितीय चक में सम्पन्न की जाएगी।

व्याईस फिलिंग के पश्चात् व्याईस लॉक करना अनिवार्य होगा व्याईस लॉक

न करने की दशा में सीट आवंटन नही होगा।

अभ्यर्थी को प्रथम चक से आवंदित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, आवंदन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी घरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः घरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होगे।

 प्रथम चक की कांउसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धरोहर धनराशि (Security

Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी।

अभ्यर्थी प्रथम चक की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी, अतः द्वितीय चक की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम कांउंसिलिंग से प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी भाग लेते है तथा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रकिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप चक्र से भर दिया जायेगा।

zava)

मॉपअप राउण्ड—

- माप—अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू०जी०—2021 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू० 1000/— पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन०आई०सी० की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आंवटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हें सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं करनी होगी।
- माप—अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू०पी० यू०जी० 2021 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नही किया है, ऐसे अभ्यर्थी भी पंजीकरण कराते हुए मॉप—अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकते है।
- नीट यू०पी० यू०जी० २०२१ की प्रथम या द्वितीय कार्जंसिलिंग से एम०बी०बी०एस आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप—अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रकिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप—अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना <u>https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in</u> पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मॉप—अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू० 30,000 /— तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल (एम०बी०बी०एस०) सीटों हेतु रू० 2,00,000 /— तथा निजी क्षेत्र की डेन्टल (बी०डी०एस०) सीटों हेतु रू० 1,00,000 /— की धरोहर धनराशि (Security Money) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नहीं जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही नोडल सेण्टर पर सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों के शिक्षण शुल्क की सूची https://upneet.gov.in & www. dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित हो रही है।
- यदि मॉप—अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची मेरिट के आधार पर सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नीट यू०जी० 2021 की पूर्व कांउसिलिंग के माध्यम से बी०डी०एस० पाठ्यकमों में प्रवेशित है
 वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे।
 बी०डी०एस० में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु
 सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु
 उपस्थित होना अनिवार्य है।
- मॉप—अप राउण्ड में कोई पुनरावंटन (Reshuffeling) अनुमन्य नही होगा।

N. Q.

 नीट 2021 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत ऑल इण्डिया कोटा माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप—अप हेतु अर्ह नहीं होंगे।



VII-ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में-

मा० उच्चतम न्यायालय मे योजित रिट याचिका Petition (s) for special leave to appeal (C) No (s). 10487/2021 द्वारा दिए गये आदेशों के कम में तथा भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या – Ref.U-I2021/06/2021-MEC दिनांक : 18.12.2021

VIII-प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो की सीट पर आवंटित अभ्यर्थी को आवंटित कालेज में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करानी होगी एवं मूल अभिलेख भी जमा करने होगें।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की सीट पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को निम्न नोडल सेन्टर पर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न करानी होगी तथा आवंटित कालेज की फीस का बैंक ड्राफ्ट एवं मूल अभिलेख भी जमा करने होगें।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने वाले नोडल सेन्टर की सूची:—

| 00 | नोडल सेन्टर | निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज | निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज |
|----|--|--|---|
| 1. | किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, | विकास के प्राचित्र साइसज, लखने | 1. कैरियर इंस्टी० आफ डेन्टल साइंसेज |
| | लखनऊ | 2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ | एण्ड हास्पिटल, लखनऊ |
| | | 3. टी०एस० मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, | 2. सरस्वती डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च, |
| | | लखनऊ | लखनऊ। |
| | | 4. इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज,लखनऊ | |
| | | 5. प्रसाद इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ | |
| 2. | डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल | 6. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी | 3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ |
| | साइन्सेज, लखनऊ | 7. मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, | 4. बी०बी०डी० कालेज आफ डेन्टल |
| | | बाराबंकी। | साइन्सेज, लखनऊ। |
| | | ८. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सीतापुर। | 5. चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी। |
| | | | |
| 3. | जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, | 9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कानपुर। | 6. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर। |
| | कानपुर | 10. सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव। | महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर। |
| | | 11.नारायणा मेडिकल कालेज, कानपुर। | |



| | कालेज, आगरा | न 12. केंंंग्डींंंग् मेडिकल कालेज, मथुरा। | 8. केंं0डीं0 डेन्टल कालेज, मथुरा। |
|----|---|---|--|
| | | 13. एफ0एच0 मेडिकल कालेज, आगरा। | |
| | | | |
| | | 14. कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा। | |
| 5. | एल०एल०आर० एम० मेडिकल कालेज | उ गाउँ मरा वगरावा, मर्व | 9 सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ |
| | मेरठ | 16. जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड | 10. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ |
| | | 17. सरस्वती इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड | 11.आई०डी०एस०टी० डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद। |
| | | 18. नेशनल कैपिटल रीजन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एमएसवाई), मेरठ। | 12. डींंंग्जेंंं डेंण्टल कालेज गाजियाबाद |
| | | 19. रामा मेंडिकल कालेज हापुड | 13. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज गाजियाबाद। |
| | | | 14. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद। |
| 3. | एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज प्रयागराज | 20. हेरिटेज इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी | |
| | | 21. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, | |
| , | की० आगुरू नी | 21. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज। | |
| | बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर | 21. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज। | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर |
| | मेडिकल कालेज, गोरखपुर | 21. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज। | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, |
| | मेडिकल कालेज, गोरखपुर | 21. यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज। 22. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर |
| | मेडिकल कालेज, गोरखपुर मेडिकल कालेज, सहारनपुर | थ्रयागराज। 22. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर 16. डेन्टल कालेज, आजमगढ़ |
| | मेडिकल कालेज, गोरखपुर मेडिकल कालेज, सहारनपुर राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान गेटर नोग्रज्ञ | प्रयोगराज | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर |
| | मेडिकल कालेज, गोरखपुर मेडिकल कालेज, सहारनपुर राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा | 22. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 23. स्कूल ऑफ मेडिकल साइसेंज, (शारदा यूनिवर्सटी) | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर16. डेन्टल कालेज, आजमगढ़17. आई0टी०एस० सेन्टर फार डेन्टल |
| | मेडिकल कालेज, गोरखपुर मेडिकल कालेज, सहारनपुर राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा | प्रयागराज। 22. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 23. स्कूल ऑफ मेडिकल साइसेंज, (शारदा यूनिवर्सटी) ग्रेटर नोयडा 24. नोयडा इन्टरनेशनल इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल | 15. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर 16. डेन्टल कालेज, आजमगढ़ 17. आई०टी०एस० सेन्टर फार डेन्टल मुरादनगर गाजियाबाद 18. स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज (भारता |

de

a 6

(A) o/



| 10. | बरेली इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय | 25. रूहेलखण्ड मेंडिकल कालेज बरेली। | 21. आई०डी०एस० डेण्टल कालेज बरेली |
|-----|--|---|--|
| | बरेली। | 26. वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज शाहजहॉपुर | The state of the s |
| | | 27. राजश्री मेडिकल मेडिकल कालेज बरेली। | |
| | | 28. श्री राममूर्ति स्मारक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज बरेली। | |
| 11. | तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद | 29. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद। 30. श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज, गजरौला, अमरोहा। | 22. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद। |

IX-त्यागपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में-

रिट याचिका (सिविल) संख्या—267/2017 दार—उस—सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09. 05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु—4 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:—

4. After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filed by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.

पिंद कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल / डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी अपनी प्रवेशित सीट से त्याग—पत्र देता है, तो ऐसी स्थिति में जमा सिक्योरिटी धनराशि एवं शैक्षणिक शुल्क से कटौती यू०पी० नीट यू०जी0—2021 हेतु जारी शासनादेश दिनांक 17.01.2022 के अनुसार की जायेगी।

X-आरक्षण (Reservation)

(क) नीट यू०जी० २०२१ के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक राजकीय मेडिकल / डेण्टल पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत् 'उर्द्धवाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

अनुसूचित—जाति (S.C.) के अभ्यर्थी
 अनुसूचित—जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी
 अनुसूचित—जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी
 अन्य—पिछड़ा—वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी
 आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी
 प्रतिशत

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र



उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

- अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2021 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग—2 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः—1/2019/4/1/2002/का—2/19टी0सी0—II दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कॉलेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें एम0सी0आई0 द्वारा EWS के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्वि की अनुमित प्रदान की जायेगी।

क्षेतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

| 1 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए | |
|---|--|------------|
| 2 | भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए | 02 प्रतिशत |
| | र र मार्ग (उच्च म जनगर संवामिवृत्त र शहाद) के पुत्र / पुत्री के लिए | 02 प्रतिशत |
| 3 | बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. | |
| | कैंडेट | 01 प्रतिशत |
| 4 | महिला अभ्यर्थियों के लिए | |
| | 1 1 1 10 101 | 20 प्रतिशत |
| 5 | दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए | |
| | The state of the s | 05 प्रतिशत |

नोट-

एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटे नीट की मेरिट सूची के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। इस उद्देश्य के लिए दित्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट—ज में संलग्न है। यदि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा।

- भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 01.12.2021 के द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाले केन्द्रों के नाम तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्नक—2 पर टंकित है।
- (ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों कमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में "वर्टिकल" आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया है:—

| क्र0 सं0 | श्रेणी | राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे | भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे | योग |
|-------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1 | अनुसूचित जाति | .62 | 02 | |
| 2 | 21.110 | | 02 | 64 |
| _ | अनुसूचित जनजाति | 05 | 01 | 06 |

de

De la companya della companya della companya de la companya della companya della

Bara

| अन्य पिछड़ा वर्ग | | | |
|------------------|----|----|-----|
| ज व १५७७। पुरा | 11 | 04 | 15 |
| अनारक्षित | 07 | | |
| | 07 | 08 | 15 |
| योग | 85 | | |
| | 00 | 15 | 100 |

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्घारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

(ग) शासनादेश संख्या—22सी0एम0(1) / 26—3—13 दिनांक 10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या—03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है : —

बिन्दु संख्या—3 — जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियाँ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीगृत हैं, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गी हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या—4 —यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा की ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियाँ, जो अनूसूचित जाति अथवा अनूसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नही है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। (घ) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:—

- कांउसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उप श्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व कांउसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप

 पर दिये गये प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—18/1/2008—का—2/2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित—पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण—पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्पेशल अपील संख्या—689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर—प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू०जी० 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या—1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2017

Bora a

को पारित आदेश / निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के कम में क्षेतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।

• उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू०जी० 2021 की कांउसिलिंग हेतु इस ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2021 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

XI-निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो में आरक्षण-

निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजो/डेण्टल कालेजो/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओ में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

XII-बॉण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में—

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—950 / 71—2—82 / 2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के कम में राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजो / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) पाठ्यकमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:—

| क0 | पाठ्यकम | बाण्ड की अवधि | बाण्ड की धनराशि | सेवा का स्थान |
|----|---|------------------|--------------------|---|
| | स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०) पाठ्यक्रम | | रू० 10.00 लाख | महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में। |

उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट www.dgme.up-90v.in पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश का स्वयं अवलोकन करे।

XIII- NAME OF MEDICAL COLLEGES

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGES-

| Sr.No. | Name of Colleges | Year of Inception | MBBS Seats | AIQ | Central pool | State Quaota |
|--------|---|-------------------|---------------|-----|--------------|-----------------|
| 1 | King George. Medical University, Lucknow | 1911 | 250 | | Quaota | Quaota |
| | LUCKIOW | 1911 | 250 | 37 | 3 | 210 |

Zavar

d

21

do

| 2 | S.N. Medical College, Agra | 1947 | 128 | 18 | 3 | 107 |
|----|--|------|-----|----|---|-----|
| 3 | G.S.V.M. Medical Colleg, Kanpur | 1956 | 250 | 37 | 3 | 210 |
| 4 | M.L.N.Medical College, Prayagraj | 1961 | 200 | 30 | 3 | 167 |
| 5 | L.L.R.M.Medical College, Meerut | 1966 | 100 | 15 | 3 | 82 |
| 6 | M.L.B.Medical College, Jhansi | 1968 | 150 | 23 | 3 | 124 |
| 7 | B.R.D. Medical College Gorakhpur | 1972 | 150 | 22 | 3 | 125 |
| 8 | U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Etawah | 2006 | 200 | 30 | _ | 170 |
| 9 | Government Medical college, Ambedkar Nagar (S.C.P) | 2011 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 10 | Government Medical College, Kannauj. (S.C.P) | 2012 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 11 | Government Medical College, Azamgarh. | 2013 | 100 | 15 | | 85 |
| 12 | Government Medical College, Jalaun | 2013 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 13 | Government Medical College, Saharanpur. (S.C.P) | 2015 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 14 | Government Medical College, Banda. | 2016 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 15 | Dr. RMLIMS, Lucknow | 2017 | 200 | 30 | _ | 170 |
| 16 | Government Medical College, Badaun | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 17 | Government Institute of Medical Sciences Greater Noida | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 18 | Autonomus Medical College Ayodhya | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 19 | Autonomus Medical College Basti | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 20 | Autonomus Medical College Bahraich | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 21 | Autonomus Medical College Firozabad | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 22 | Autonomus Medical College Shahjahanpur | 2019 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 23 | Autonomus Medical College Fatehpur | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 24 | Autonomus Medical College Gazipur | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 25 | Autonomus Medical College Siddharthnagar | 2021 | 100 | 15 | | 85 |

des

h. -

8

Bolat

S

| | To | otal Seats- | 3828 | 573 | 21 | 3234 |
|----|---|-------------|------|-----|----|------|
| 31 | Autonomus Medical College Jaunpur | 2021 | 100 | 15 | - | 85 |
| 30 | Autonomus Medical College Hardoi | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 29 | Autonomus Medical College Etah | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 28 | Autonomus Medical College Mirzapur | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 27 | Autonomus Medical College Pratapgarh | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |
| 26 | Autonomus Medical College Deoria | 2021 | 100 | 15 | _ | 85 |

* शासनादेश दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार ई०डब्लू०एस० का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजो/संस्थानो/विश्वविद्यालयों में लागू होगा, जिनमें एम०सी०आई० द्वारा ई०डब्लू०एस० के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमित प्रदान की जायेगी। उक्त कालेजों में एम०सी०आई० के द्वारा सीटों में वृद्धि नहीं की गयी। अतः ऐसे कालेजो/संस्थानो/विश्वविद्यालयों में ई०डब्लू०एस० कोटा दिया जाना सम्मव नहीं है।

यू०पी० नीट यू०जी०-2021-22 हेतु जारी शासनादेश दिनांक 17.01.2022 के बिन्दु 09 के उपबिन्दु
 (ग) में अंकित राजकीय मेडिकल कालेजो क्रमशः अम्बेडकर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में आरक्षण व्यवस्था शासनादेश के अनुसार लाग होगी।

> राजकीय क्षेत्र में स्थापित मात्र एक डेण्टल कालेज(के०जी०एम०यू०) में भी डी०सी०आई० द्वारा कोई सीट वृद्धि नहीं की गयी है। अतः ई०डब्लू०एस० कोटा दिया जाना सम्भव नहीं है।

GOVERNMENT DENTAL COLLEGE

| Sr.No. | Name of College | BDS Seats | AIQ | Central pool | State Quaota |
|--------|---|--------------|-----|--------------|-----------------|
| 1 | FACULTY OF DENTAL SCIENCE, King George. Medical | 70 | 00 | Quaota | 4 |
| | University, Lucknow संकाय) | 10 | 09 | 10 | 51 |

PRIVATE MEDICAL COLLEGES—

| S.No. | Name of Private Colleges | Year of | No. of Seats in |
|-------|---|-----------|-----------------|
| 1 | Subharti Medical College, Meerut | Inception | 2021-22 |
| 2 | Fra's Luckness Madia 1 G 11 | 1996 | 150 |
| 3 | Sri Rammurti Smarch Institute (C.) (Minority) | 1997 | 150 |
| 4 | Sri Rammurti Smarak Institute of Medical Sciences, Bareilly | 2005 | 150 |
| | Muzaffar Nagar Medical College, Muzaffar Nagar | 2006 | 150 |

Leo

De la companya della companya della companya de la companya della companya della

8

Barre U

| | | TOTAL- | 4500 |
|----|---|--------|------|
| 30 | Naraina Medical College & Hospital, Kanpur | 2021 | 150 |
| | Noida International Institute of Medical Sciences, Gautam Budh Nagar | 2020 | 150 |
| 9 | Noida International Institute of M. III de i | 2020 | 150 |
| .8 | (Previous Known as MSY) United Institute of Medical Sciences, Prayagraj | 2017 | 150 |
| 27 | National Capital Region Institute of Medical Sciences, Meerut | 2017 | 150 |
| 26 | G.S. Medical College, Hapur | | |
| 25 | Varunarjun Medical College & Rohilkhand Hospital, Sahjahanpur | 2016 | 150 |
| 24 | T.S.M. Institute of Medical Sciences, Lucknow | 2016 | 150 |
| | Shri Venkateshwara Institute of Medical Sciences, Gajraula, Amroha | 2016 | 150 |
| 23 | Shri Venkoteshwara Institute Co. 6. 11 | 2016 | 150 |
| 22 | Saraswati Medical College, Unnao* | 2016 | 150 |
| 21 | Road, Mathura Prasad Institute of Medical Sciences, Lucknow | 2016 | 150 |
| 20 | Krishna Mohan Medical College & Hospital Pali Dungra Sould | 2015 | 150 |
| 19 | K.D. Medical College, Mathura | | 150 |
| 18 | Hind Medical College, Sitapur | 2015 | 150 |
| 17 | Heritage Institute of Medical Sciences, Varanasi | 2015 | 150 |
| 16 | Rajshree Medical College, Bareilly | 2014 | 150 |
| 15 | F. H. Medical College, Firozabad/ Agra (Minority) | 2014 | 150 |
| 14 | Integral Institute of Medical Sciences, Lucknow (Minority) | 2013 | |
| | Mayo Institute of Medical Sciences, Barabanki | 2012 | 150 |
| 13 | Rama Medical College & Hospital, Hapur Ghaziabad | 2011 | 200 |
| 12 | Career Medical College, Lucknow (Minority) | 2011 | 100 |
| 10 | School of Medical Sciences (Sharda University) Greater Noida | 2009 | 200 |
| 9 | Hind Institute of Medical Sciences, Barabanki | 2009 | 100 |
| 0 | Moradabad (Winority) | 2008 | 150 |
| 8 | Teerthankar Mahaveer Medical College & Research Center, | 2008 | 150 |
| 7 | Saraswati Institute of Medical Sciences, Hapur | 2008 | 150 |
| 6 | RohilKhand Medical College, Bareilly Rama Institute of Medical Sciences Research & Hospital, Kanpur | 2006 | 150 |

PRIVATE DENTAL COLLEGES—

| Sr. no. | Institute Name | | |
|------------|---|----------------------|-----------|
| 1 | | Year of Inception | DDC C |
| 1 | SARDAR PATEL POST GRADUATE INSTITUTE OF DENTAL & MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW | 1996 | BDS Seats |
| 2 | Rama Dental College, Kanpur | 1996 | 100 |
| 3 | Subharti Dental College, Meerut | 1996 | 100 |
| 4 | Saraswati Dental College, Lucknow | 1998 | 100 |
| 5 | D.J. COLLEGE OF DENTAL SCIENCES & RESEARCH, MODINAGAR, GHAZIABAD (Minority) | 1999 | 100 |

do De Q

Boyax

0/

| 6 | KOTHIWAL DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, MORADABAD | 1999 | 100 |
|-----|--|------|------|
| 7 | Caron Daniel C. II. | | |
| , | Career Dental College, Lucknow (Minority) | 2000 | 100 |
| 8 | I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, Ghaziabad | 2000 | 100 |
| 9 | INSTITUTE OF DENTAL STUDIES & TECHNOLOGIES, MODINAGAR, GHAZIABAD | 2000 | 100 |
| 10 | | | |
| 10 | BBD Dental College, Lucknow | 2000 | 100 |
| 11 | KD DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, MATHURA | 2001 | 100 |
| 12 | INSTITUTE OF DENTAL SCIENCES, BAREILLY | 2001 | 100 |
| 13 | Chandra Dental College, Barabanki | 2003 | 100 |
| 14 | SHRI BANKEY BIHARI DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTRE, GHAZIABAD | 2004 | 100 |
| 15- | Kalka Dental College Meerut | 2004 | 100 |
| 16 | DENITAL GOLLEGE | | 100 |
| 10 | DENTAL COLLEGE, AZAMGARH | 2005 | 100 |
| 17 | Maharana Pratap Dental College, Kanpur | 2005 | 100 |
| 18 | Teerthanker Mahaveer Dental College &Research Centre, Moradabad (Minority) | 2005 | 100 |
| 19 | Purvanchal Dental College Gorakhpur | 2005 | 100 |
| 20 | SCHOOL OF DENTAL SCIENCES, (SHARDA UNIVERSITY) GREATER NOIDA | 2006 | 100 |
| 21 | INDERPRASTHA DENTAL COLLEGE & HOSPITAL, GHAZIABAD | 2006 | 100 |
| 22 | I.T.S. Dental College, Hospital & Research Centre, Greater Noida | | |
| | onege, nospital & Research Centre, Greater Noida | 2006 | 100 |
| | TOTAL | | 2200 |

Note :- Number of seats are variable.

Du dos

8

Dog

Q

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी 2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार 4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी—सेंथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी—मल्ल 5. गिरी 6. गूजर 7. गोसाई 8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी-राजपूत 9. कम्बोज 10.अरख, अर्कवंशीय 11. काछी, काछी—कुशवाहा, शाक्य 12.कहार, कश्यप 13. केवट, मल्लाह, निषाद 14.किसान 15. कोइरी 16. कुम्हार, प्रजापति 17. कसगर 18. कुजड़ा या राईन 19. गड़ेरिया, पाल, बघेल 20. गददी, घोसी 21. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक 22. छीपी, छीपा 23. जोगी 24. झोजा 25. डफाली 26. तमोली, बरई, चौरसिया 27. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक 28. दर्जी, इदरीशी, काकुत्रथ 30. नक्काल 31. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) 32. नायक 34. बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी 35. बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड, धीमान 36. बारी 37. बैरागी 38. बिन्द 39. बियार 40 भर, राजभर 41. भुर्जी, भड़भुजा, भूंज, कांद्र, कशोधन 42. भिउयारा 43.माली, सैनी 44. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर 45. लोहार, लोहार-सैफी 46. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया-चौहान 47. रंगरेज, रंगवा 48. मारछा 49. हलवाई, मोदनवाल 50. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास 51. राय सिक्ख 52. सक्का-भिश्ती. भिश्ती-अब्बासी 53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) 54. केसरा, ठठेरा, ताम्रकार 55. नानबाई 56. मीरशिकार 57. शेख सरवारी (पिराई), पीराही 58. मेव, मेवाती 59. कोष्टा / कोष्टी 60. रोड़ 61. खुमरा, संगतराश, हंसीरी 62. मोची 63. खागी 64. तंवर सिंघाडिया 65. कत्आ 66. माहीगीर 67. दांगी 68. धाकड़ 69. गाडा 70. तंतवा 71. जोरिया 72. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी 73. कलाल, कलवार, कलार 74. मंनिहार, कचेर, लखेरा

D of

79. नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कड़ेरे, करण (कर्ण)

76. मोमिन (अंसार)77. मुस्लिम कायस्थ

 \bigcirc

a a a

75. मुराव, मुराई, मौर्य

78. मिरासी

अनुसूचित जातियों की सूची (Schedule Caste of U.P.)

| 4. 7. 10 13 16 19 21 | बजनिया . बलाई . बनमानुश . बसोड़ . बेरिया . भुड्या (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 5. 8. 11. 14. 17. | बधिक बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) बाजगी बाल्मीकि बांसफोड़ बावरिया भंतू | 6. 9. 12. 15. | बादी बैसवार बलहार बंगाली बरवार बेलदार |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | . भुईयार टव | 23. | बोरिया 24. चमार, झुसिय | ग, ध् | ुसिया, |
| 28. 31. 34. 36. वार 39. 42. 45. | चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर) धानुक डोम घरामी गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपु गणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर) हरी कंजर | 29. 32. 35. र, देव 37. 40. 43. | धरकार डोमर घसिया घरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, ग्वाल हेला कपड़िया | 30. 33. गार्ज 38. 41. | धनगर धोबी दुसाध गेपुर, हबूड़ा कलाबाज करवल |
| 51. 54. 57. 58. 60. 62. | सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर) | 49.52.55.59.61.63. | कोल लालबेगी मुसहर पासी, तरमाली रावत | 50. 53. 56. | खटीक कोरी मझवार नट सांसिया |

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

- 1. थारू 2. बुक्सा 3. भोटिया 4. राजी 5. जन्नासरी/जौनसारी 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में)
- 7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
- 8. सहरया (ललितपुर जिले में)
- 9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
- 10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
- 11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में)
- 12. अगरिया (सोनभद्र जिले में) 13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
- 14. चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में)
- 15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में)

नोटः— उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 यथासंशोधित के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।

De opn

8

Gay)

v L

| AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO |
|---|
| COURSE SESSION |
| THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ON THIS DAY OF |
| BETWEEN |
| NAME |
| |
| S/O, D/O, W/O |
| RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) |
| (TEMPORARY ADDRESS) : |
| MOBILE NO.: |
| E-Mail id.: |
| AADHAR No. : |
| Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part |
| AND |
| Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part. |
| WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to |

De do

8

Gala?

0/

S

| (Rupees) only. |
|--|
| If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY employed as granted stipend to him/her for a period of 24 months effect fromin order to enable his/her to study at college. |
| AND WHERE AS if the FIRST PARTY |
| work s for a period of less than 24 months during the |
| Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will |
| of treated as stipend and the FIRST PARTY |
| pay back in addition to the security amount of Rs(Runger |
| in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights |
| and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in |
| India. |
| |
| NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS: - |
| |
| The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the |
| specialty course DM/MCH/Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission |
| 5. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College Concerned |
| retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged. 4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India. |
| 5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue. |

a ord

 The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of of

For and behalf

FIRST PARTY

Governor

)

(

Witnesses: -

Du Son

8/ B

In

प्रेषक,

000000

2

0

3

3

3

3

तुलसी गाँड, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशास्न अनुभाग

लखनऊः दिनॉक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते है। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतयः पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरिश्प आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते है।

2- डोमीसाईल/सानान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशें एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रहीं है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को "नागरिकता" जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को "नागरिकता" से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमजंस की स्थिति का सामाना करना पड़ता है।

इंस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

¹⁻ यह शासलादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

²⁻ इस शासनाटेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संबंधी सार्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनॉक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्द्वारा डोमीसाईल!सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेट्ट निम्न प्रक्रिया . प्रख्यापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा . एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तद्नुसार यह प्रमाण
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल. मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्रं देने के लिए "सक्षम अधिकारी " होंगे।
- प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।
- जो ट्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- प्रमाण प्रत्न प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चरूपा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 सलंग्न है।
- प्रार्थी द्वारा निम्नतिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाख्या प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैं, अतः इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकला नहीं है

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकला वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सल्यापित की जा सनती 🕺 !

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी०ए०एन०), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलाग्नित किया जारेगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तदायित्य होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या माँग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर-सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपितयों की आवेदक को स्चित कर दिया जाये।
- (9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवदेक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अविध से उस जनपद में निवास कर रहे है, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।
- (10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतुं आवंदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्त्-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्निचन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मिजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।
- 4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय, (तुलसी गौड) सचिव।

²⁻ इस शास्नादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।



¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पऋ के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु) आवेदन पत्र का प्रारूप।

| आवेदक का नाम | |
|---|--|
| पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम | |
| (क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रामण पत्र (यदि है तो) | आवेदक का नवीनतम फोटो सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर सहित चस्पा दी जाये। |
| (ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो) | |
| अथवा सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अविधि होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रम प्रा वर्तमान पता थाना | क्षेत्र में नगर पालिका एव नाण ने का पता, कब से कब तक) |
| 7(क) आवेदक का जन्म स्थान(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द् पातिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो | वारा, शहरी क्षेत्र में नगर ागा) |
| • | |





¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकला वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| 9- क्या : | आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है |
|-----------|--|
| | (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिनिपि संलग्न करें) |
| | ग पत्र किस प्रयोजन हेत् चाहिए |
| | घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व |
| | यं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ। |
| | मार्थित विश्वास राज्या विश्वास राज्य विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास विश्वास व |
| | आवेदक का पूरा नाम |
| | - तथा हस्ताक्षर |
| | |
| (नोट :- | आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर |
| | गवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।) |
| | |
| | |
| | |
| | सत्यापन |
| 1- | श्री/श्रीनती/कुमारी |
| | (जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी |
| | निवासी/निवासिनी मकान नम्बर |
| | ग्राम/मोहल्ला |
| | |
| | पोस्ट उनर प्रदेश को |
| | में वर्षों से जानता हूँ। |
| | |
| 2- | श्री/श्रीमती/कुमारी वर्षी से |
| | उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है। |
| | |
| | अथवा |
| | |
| | श्री/श्रीमती/कुमारी |
| | पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता |
| | की ग्राम/मोहल्ला तहसील |
| | जिलामें अचल सम्पत्ति है। |
| | दिनाक: |
| • | हस्ताक्षर, |
| | सत्यापनकर्ता का नाम |
| 204 | . पदनाम व मुहर। |
| | |
| | उपरोक्त प्रस्तर-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है। |
| | |
| 1- | यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकता नहीं है । |
| | इसे शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है । |

2222222222222222222222222222222

en de Balad & a. I

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत सामान्य निवास प्रमाण पत्र

| यह प्र | माणित | किया उ | गता है | | |
|-----------|------------|--------|--------|------|--|
| श्री/श्री | मिती/कुम | गरी | | | |
| पुत्र/पु | त्री/पत्नी | | | | |
| | न नंबर . | | | | |
| | ना | | | | |
| | प्रदेश क | | | | |
| | | | | | |

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्तकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

> हस्ताक्षर जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी, का नाम व महर।_

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनिय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित हैं तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिल्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

²⁻ इस शामनादेश की प्रमाणिकता वेय साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।



drad

a Gay





¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

Office of ADG (ME) Email: adgme@nic.in



GOVERNMENT OF INDIA DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES MEDICAL COUNSELLING COMMITTEE NIRMAN BHAWAN, NEW DELHI-110108

Ref. U-12021/06/2021-MEC

Dated: 01-12-2021

NOTICE

Kind Attention: Candidates participating in UG/ PG Counselling 2021

MCC of DGHS has designated Disability Certification Centres for providing Disability Certificates to PwD candidates after examination and quantification of their percentage of disability in support of their claim to avail PwD reservation in Medical courses (UG/ Broad Speciality PG courses). Till date there were 13 such Disability Certification Centres authorized by MCC of DGHS.

However, to facilitate PwD students to obtain certificates in a hassle free manner, MCC of DGHS has included two more Disability Certification Centres as follows:

- 1. Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)
- 2. Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals, New Delhi.

Hence, the candidates can approach the above two centres also to obtain Disability Certificate in addition to 13 already existing centres across India. The updated list of Disability Certification Centres is enclosed below.

Notice posted on: 01.12.2021

neur

List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG/ Broad Speciality PG Courses

| S/No. | Name of Disability Certification Centre | City/State | Specialities Available for which Disability Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Disability Certificate |
|-------|--|-------------------------------|---|
| 1. | Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjang Hospital (VMMC & SJH) | New Delhi | All Disablities as mentioned in Disability Certificate except auditory disabilities (ENT) and Intellectual Disabilities & Behavioural disabilities. |
| 2. | All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR) | Mumbai | For Locomotor Disability only |
| 3. | Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER) | Kolkata | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate |
| 4. | Madras Medical College (MMC) | Chennai | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate |
| 5. | Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound | Mumbai, Maharashtra | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate |
| 6. | Goa Medical College | Goa | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Speech Disability. |
| 7. | Government Medical College, Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram, Kerala | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophtalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram |
| 8. | SMS Medical College | Jaipur, Rajasthan | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except: 1. Neurology- Genetic Testing 2. ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics/ PMR- Gonitometer Adult. Plumb Line, Hand Dynomometer, Laser |
| 9. | Govt. Medical College and Hospital, Sector32 | Chandigarh | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate |

In oran

Q.

| 10. | Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board | Agartala/Tripura | Information Still Awaited |
|-----|---|----------------------------|---|
| 11. | Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, | Varanasi/ Uttar Pradesh | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability. |
| 12. | Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai | Mumbai, Maharashtra | For Hearing Disabilities only |
| 13. | AIIMS, Nagpur | Nagpur, Maharashtra | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate |
| 14. | Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH) | New Delhi | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except ENT |
| 15. | Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMC) | New Delhi | All Disabilities as mentioned in Disability Certificate except Intellectual Disability |

desp

Baja?

on d

D

| | ficate Noe of the Designated D | Disability Centre (as per | DatedANNEXURE): | Recent Passport Size Photograph |
|---|--|--|--|------------------------------------|
| *************************************** | of the candidate duly attested by | | | |
| This t | o certify that Dr. / N | Ir. / Ms. | | the issuing authority |
| Aged_ | Years Se | on/ Daughter of Mr | | authority |
| | | | NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O | |
| NEET | Roll No | , Rank No | , has the following | |
| Disabi | ility (Name of the Sp | ecified Disability) | Ser Car | (in percentage) |
| of | (in | words)(in | T7: | (in percentage) |
| S/No. | (Assessment may be done as Empowerment) | | ordinary, Part-II, Section 3 Sub-section(ii), Minus | |
| 3/_40. | Disability Type | Type of Disability | Specified Disal | oility |
| 1. | Physical Disability | A. Locomotor Disability* B. Visual Impairment* C. Hearing Impairment* D. Speech & Language Disability | a. Leprosy cured person, b. Cerebral I Muscular Dystrophy, e. Acid attack V Amputation, Poliomyelitis a. Blindness b. Low V:sion a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic/ Neurolog:22 | ictims, f. others such as |
| 2. | Intellectual | The second secon | a. Specific Learning Disabilities(Perc | eptual disabilities, |
| | Disability | | Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & E b. Autism Spectrum Disorders | evelopmental Aphasia |
| | Mental Behaviour | | a. Mental illness | |
| 3, | | | | |
| 3. I. | Disability caused due to | a. Chronic Neurological Conditions | i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism | |
| l. | to | | ii. Parkinsonism i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Si | |
| . | The state of the s | Conditions | ii. Parkinsonism | |
| j. | Multiple.Disabilities including Dear Blindness Conclusion: He/ Sind MCI Gazette Notifies | Conditions b. Blood Disorders e is Eligible/ Not Eligible ation subject to his being o cy with the aid of Assistiv | ii. Parkinsonism i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Si More than one of the above specified of | courses as per the |
| • ** | Multiple.Disabilities including Deaf Blindness Conclusion: He/ She MCI Gazette Notificate Functional competent | Conditions b. Blood Disorders e is Eligible/ Not Eligible ation subject to his being o cy with the aid of Assistiv | ii. Parkinsonism i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Si More than one of the above specified of e for admission in Medical/ Dental therwise medically fit. we devices in case of Locomotor*/ | courses as per the |

3